कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड

विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल, सचिवालय परिसर 4–सुभाष रोड़, देहरादून– 248001

Email id-ceo uttaranchal@eci.gov.in फोन न० (0135) 2713551

election09@gmail.com फोन न० (0135) 2713552

संख्या– 408 /XXV–12(9) /2018 देहरादून : दिनांक 01 जून, 2020

सेवा में,

श्री एस0एल0 व्यास,
मार्फत राष्ट्रीय महासचिव,
ऑल इण्डिया–वोटर्स साईटस एण्ड वेलफेयर एसोसिएशन,
आई माँ भवन, माधोराय की ढाल, पा0बॉक्स नं0–11, फलोदी,
जिला जोधपुर–342301,

विषय– **सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत सूचना प्रदान करने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक उत्तराखण्ड शासन गृह अनुभाग–5, के पत्र संख्या–71/XX(5)/20–39(आर0टी0आई0)/2019 दिनांक 27 मई 2020 के साथ आपका अनुरोध पत्र दिनांक 21/03/2020 इस कार्यालय में दिनांक 01 जून 2020 को प्राप्त हुआ है। आप द्वारा अनुरोध पत्र के विन्दु संख्या– 2, 3 एवं 4 से सम्बन्धित चाही गयी वांछित सूचना कार्यालय में धारित नहीं हैं।

इस आदेश के अन्तर्गत दी गई जानकारी से यदि असंतुष्ट हों तो आदेश प्राप्ति की तिथि से 30 दिन के अन्दर विभाग के अपीलीय अधिकारी जिनका पता निम्नवत है, अपील दायर कर सकते हैं।

अपीलीय अधिकारी का पता–

सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल,
सचिवालय परिसर 4–सुभाष रोड़,
देहरादून– 248001,

भवदीय,

B S Rawat

(बसन्त सिंह रावत)
अनुभाग अधिकारी एवं
लोक सूचना अधिकारी।

पृ0संख्या 408 /XXV–12(9)/2008, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि– लोक सूचना अधिकारी/अनुभाग अधिकारी, गृह अनुभाग–5 उत्तराखण्ड शासन को उनके उपरोक्त पत्र के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।

B S Rawat

(बसन्त सिंह रावत)
अनुभाग अधिकारी एवं
लोक सूचना अधिकारी।

RIGHT TO INFORMATION

01.6.2020

पंजीकृत डाक से
सूचना का अधिकार अधिनियम–2005
E-Mail ID-homesection5@gmail.com
PIO-Mo.No-9927699245

उत्तराखण्ड शासन
गृह अनुभाग–5,
संख्या–71 /XX(5)/20–39(आर0टी0आई0)/2019
देहरादूनः दिनांक 27 मई, 2020

श्री एस0एल व्यास,
मार्फत राष्ट्रीय महासचिव,
ऑल इण्डिया–वोटर्स राईटस एण्ड वेलफेयर एसोसिएशन,
आई मॉ भवन, माधोराय की ढाल, पो0बॉक्स नं0–11, फलोदी,
जिला–जोधपुर–342301।

सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के अन्तर्गत अनु सचिव/लोक सूचना अधिकारी, मुख्यमंत्री कार्यालय अनुभाग–02, उत्तराखण्ड शासन के पत्र दिनांक–06.05.2020 के माध्यम से प्राप्त अपने पत्र दिनांक–02.03.2020 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसमें आप द्वारा राज्य आन्दोलनकारियों का चिन्हीकरण किये जाने से सम्बन्धित बिन्दुओं पर सूचना उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया है।

बिन्दु संख्या–01– के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि जी0ई0(सी)/1870 दिनांक 25.01.2018 पर की गयी कार्यवाही सूचना संलग्नक कर प्रेषित की जा रही है।

बिन्दु संख्या–02,03 एवं 04–के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उक्त बिन्दुओं की सूचना लोक सूचना अधिकारी निर्वाचन विभाग, उत्तराखण्ड शासन तथा लोक सूचना अधिकारी/जिलाधिकारी कार्यालय, देहरादून से सम्बन्धित होने के कारण सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा–6(3) के अन्तर्गत हस्तान्तरित की जा रही है।

2– यदि आप उक्त सूचना से सन्तुष्ट न हों तो, कृपया कारणों का उल्लेख करते हुए 30 दिवस के अन्दर विभागीय अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील कर सकते हैं, जिनका पता निम्नवत् है :–

संलग्नक यथोक्त

श्री कृष्ण कुमार वी0के0,
विभागीय अपीलीय अधिकारी/अपर सचिव, गृह,
विश्वकर्मा बिल्डिंग, तृतीय तल,
कक्ष संख्या–304, सचिवालय , 4 सुभाष रोड,
देहरादून।

(प्रोमिला कोठारी)
लोक सूचना अधिकारी/अनुभाग अधिकारी।

संख्या– /XX(5)/19–39(आर0टी0आई0)/20,तद्दिनांकित

प्रतिलिपिः–लोक सूचना अधिकारी निर्वाचन विभाग, उत्तराखण्ड शासन तथा लोक सूचना अधिकारी/जिलाधिकारी कार्यालय, देहरादून को सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा–6(3) के अन्तर्गत आवेदक का उक्त पत्र, दिनांक–02.03.2020 इस आशय से प्रेषित कि आवेदक के आवेदन पत्र में उल्लिखित बिन्दु संख्या–02,03 एवं 04 का सम्बन्ध आपके कार्यालय से सम्बन्धित है। अतः उक्त बिन्दुओं की सूचना नियमानुसार अपने–अपने स्तर से आवेदक को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

Kothari 27/5/2020
(प्रोमिला कोठारी)
लोक सूचना अधिकारी/अनुभाग अधिकारी।

71/XX(5)/20

सूचना का अधिकार

उत्तराखण्ड शासन
मुख्यमंत्री कार्यालय अनुभाग–2
आर0टी0आई0सं0/ 97 /XXXV-2/लो0सू0अ0/2020
देहरादून : दिनांक 06 मई, 2020

लोक सूचना अधिकारी,
गृह विभाग,
उत्तराखण्ड शासन।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत सूचना उपलब्ध कराये जाने विषयक श्री एस0एल0व्यास, मार्फत राष्टीय महासचिव, ऑल इन्डिया वोटर्स राईटस एण्ड वेलफेयर एसोसिऐशन, आईमा भवन, माधोराय की ठाल, पो0 बॉक्स नं0 11, फलौठी, जोधपुर, राजस्थान, पिन 342301 का पत्र दिनांक 02.03. 2020 एवं संलग्न पो0ओ0 संख्या–47 एफ 073110 रू 10/– अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में **उत्तराखण्ड राज्य में दिनांक 02.03.2020 से दिनांक 18.03.2020 तक हड़ताल एवं दिनांक 19.03.2020 से कोरोना वायरस (covid-19) संक्रमण से बचाव/रोकथाम के दृष्टिगत भारत सरकार द्वारा किये गये लॉकडाउन के कारण** दिनांक 06.05. 2019 को प्राप्त हुआ है, को मूल रूप में आपको सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 6(3) की व्यवस्थानुसार इस आशय से हस्तांतरित किया जा रहा है कि आवेदक द्वारा मांगी गई सूचना गृह विभाग, उत्तराखण्ड शासन से संबंधित प्रतीत होती है। कृपया अनुरोधकर्ता को वांछित सूचना अपने स्तर से नियमानुसार उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोक्त।

(हरीश चन्द्र)
अनु सचिव/लोक सूचना अधिकारी।

सं0/ /XXXV-2/लो0सू0अ0/2020 तद्दिनांक

प्रतिलिपिः–1– श्री एस0एल0व्यास, मार्फत राष्टीय महासचिव, ऑल इन्डिया वोटर्स राईटस एण्ड वेलफेयर एसोसिऐशन, आईमा भवन, माधोराय की ठाल, पो0 बॉक्स नं0 11, फलौठी, जोधपुर, राजस्थान, पिन 342301 का पत्र दिनांक 02.03.2020 के क्रम में सूचनार्थ एवं इस आशय के साथ प्रेषित कि अनुरोध पत्र में वांछित सूचना मुख्यमंत्री कार्यालय की अभिरक्षा/नियंत्रण में धारित नहीं है अपितु गृह विभाग, उत्तराखण्ड शासन से संबंधित प्रतीत होती है। तद्नुसार अनुरोध पत्र लोक सूचना अधिकारी, गृह विभाग, उत्तराखण्ड शासन को अन्तरित कर दिया गया है।

उपरोक्त लोक सूचना अधिकारी, गृह विभाग, उत्तराखण्ड शासन से यदि आपको उक्त सूचना प्राप्त नहीं होती है, अथवा उनके द्वारा दी गई सूचना से सन्तुष्ट न हों, तो कृपया गृह विभाग, उत्तराखण्ड शासन के विभागीय अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत कर सकते हैं ।

2– सचिव, मा0 उत्तराखण्ड सूचना आयोग, देहरादून, उत्तराखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।

3– केन्द्रीयकृत सहायक लोक सूचना अधिकारी, सचिवालय प्रशासन को पो0ओ0 संख्या–47 एफ 073110 रू 10/– मूलरूप में संलग्न कर इस आशय के साथ प्रेषित की कृपया उक्त धनराशि राजकीय कोष में जमा कर प्राप्ति रसीद पत्रवाहक को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

(हरीश चन्द्र)
अनु सचिव/लोक सूचना अधिकारी।

RTI-2019

1800-1801
2/3/2020

प्रारूप "क"
सूचना का अधिकार अधिनियम 2005
(धारा 4 (1) (ख) देखिए)
सूचना चाहने के लिए आवेदन का प्रारूप

Regd

प्रति, राज्य लोक सूचना अधिकारी
श्री त्रिवेन्द्र सिंह जी रावत,
मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड सरकार,
CMo सचिवालय सुभाष रोड,
देहरादून 248001 (उत्तराखण्ड)

अतिआवश्यक

(1) आवेदक का नाम - एस एल व्यास मार्फत राष्ट्रीय महासचिव, ऑल इण्डिया वोटर्स -
(2) पता - -राईट्स एण्ड वेलफेयर एसोसिएशन, आई माँ भवन
माधोराम की डाल, पो० बॉक्स No-11, फलोदी (जोधपुर)
-342301 (M) 8239067024

(3) सूचना चाही गई (अतिआवश्यक) ✓
सूचना का विवरण :- जो ई (सी) 1870/2018 दिनांक 25/11/2018 के तहत राज्य
(1) के प्रमुख सचिव गृह विभाग उत्तराखण्ड शासन को भेजी गई क्या कार्यवाही की
गई सविवरण टिप्पणी युक्त विधिक न्याय किया RTI के तहत दिरावे आप।
(2) - DE 8/1/2017 की पत्रावली पर क्या आदेश आपने राष्ट्र हित में दिया गया
लक्ष्मी बोरा एवं अन्य को चिन्हीकरण करने के क्रम में जिलाधिकारी देहरादून गुमराह
(2) करने का विधिक कारण बतावे आज ही इन पांचों को आन्दोलनकारी सूची
मे सम्मिलित करने की सूची उपलब्ध करावे CM साहिब RTI ACT 2005 के तहत
(3) उ० जिलाधिकारी देहरादून को 13/12/2019 No- 990-993 प्रेषित RTI जवाब नहीं
मिला विधिन्याय करे मुख्यमंत्रीजी उत्तराखण्ड सरकार आज ही आदेश दिरावे को।
~~1315-1318 Dt 31/12/2019~~ प्रथम अपील का खुलासा नहीं विधिन्याय आप करावे।
(4) पत्र No- R.I. VRWA/RM/ राष्ट्रपति भारत/All India/विशेषपत्र/2020215-1000215 Date
15 जनवरी 2020 विषय - वित्तीय वर्ष 2020-21 के बजट में तीव्रता से मतदाताओं को
(4) मासिक 3000/- रुपये वोटर्स पेन्शन देने का प्रावधान सम्मिलित करने हेतु विधिक न्याय -
बाबत) आपको भेजा गया उसमें CM साहिब ने मतदाताओं के पक्ष में क्या
आदेश जारी किया राष्ट्रहित में RTI ACT 2005 के तहत उपलब्ध करावे।
ताकी राष्ट्रपतिजी को लिखवा सके। बिन्दुवार जवाब मय आदेश दिरावे।
आप ही राज्य के हित में निर्णय देंगे। निर्वाचन विभाग उत्तराखण्ड मात्र
लिपा पोती कर रही है न्याय करके खुलासा करावे CM साहिब जी।
(4) RTI शुल्क संलग्न I.P.O. - I.P.No - 47 F 073110 Rs 10/- Dt 2/3/2020
(5) चाही गई सूचना धारा 8 में नहीं आती है। उपरोक्त बिन्दुओं का अविलम्ब
जवाब देवे। समय अवधि तीन दिन, हमारे जीवन से संबंधित है अतः आप
72 घन्टो (तीन दिन में) जवाब देवे। समय अवधि 3 दिन, स्थान फलोदी
दिनांक 2/3/2020, समय 11 AM

भवदीय

BPO PHalodi